कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा।

पाण्डेय गणपत राय भवन, प्रथम तल्ला, समाहरणालय, लोहरदगा
ई-मेल: mdmloh@rediffmail.com

संख्या— 1434 दिनांक— 16.12.2021

प्रबंधक,

के0के0एम0 पब्लिक स्कूल, हरमू, लोहरदगा।

विषयः— **निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण—पत्र।**

महोदय / महोदया,

आपके द्वारा उपायुक्त / उप विकास आयुक्त को दिनांक 26.03.2021 एवं 23.04.2021 को समर्पित आवेदन और जिला शिक्षा अधीक्षक के निरीक्षण के आधार पर जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की दिनांक 08.12.2021 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में के0के0एम0 पब्लिक स्कूल, हरमू, लोहरदगा को शैक्षणिक सत्र 2021—22 से कक्षा 1 से 8 तक के लिए मान्यता प्रदान करने की जाती है।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है—

1. इस मान्यता में किसी भी रुप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबन्धों को पूर्णरुपेण पालन करेगा।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा से उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस—पड़ोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. उक्त कंडिका—3 में उल्लेखित बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत प्रतिपूर्तित राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।
5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता—पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसे स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा—

   (i) प्रवेश दिये गए किसी भी बालक / बालिका को विद्यालयमें उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुतीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा;

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक दण्ड नहीं दिया जाएगा;

(iii) प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक प्रत्येक बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी;

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा;

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा;

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ताएँ के अनुरुप किया जायेगा तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम अहर्ता अधिनियम 2009 के लागू होने के समय नहीं है, पाँच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अहर्ताएँ अर्जित कर लेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्त्तव्यों का पालन करेंगे। और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा।

10. विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैः—

(i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल— 49,600 वर्गफीट

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र— 47,200 वर्गफीट

(iii) क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल— 16200 वर्गफीट

(iv) कक्षाओं की संख्या— 16

(v) प्राध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भांडागार के लिए कक्ष— 04

(vi) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय— 21

(vii) पेयजल सुविधा— कुऑ, बोरिंग

(viii) बाधारहित पहुँच— है।

(ix) अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता— विद्यालय में संधारित है।

11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी।

12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

1434
16.12.2021

13. स्कूल का किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।

14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।

15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय—समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालक करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाये।

16. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 01/2021 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख किया जाये।

जिला शिक्षा अधीक्षक,
लोहरदगा।

ज्ञापांक: 1434 /लोहरदगा, दिनांक 16.12.2021

प्रतिलिपिः— क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, लोहरदगा/प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, लोहरदगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला शिक्षा अधीक्षक,
लोहरदगा।
16-12-2021

ज्ञापांक: 1434 /लोहरदगा, दिनांक 16.12.2021

प्रतिलिपिः— उपायुक्त—सह—अध्यक्ष, जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति लोहरदगा एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ समर्पित।

जिला शिक्षा अधीक्षक,
लोहरदगा।
16-12-2021